

अति अल्पकालीन निविदा

झारखण्ड शिक्षा परियोजना पब्लिक, राँची के पत्रांक 1408 दिनांक 03.09.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 जिले के सभी प्रारम्भिक/माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को आई.डी.कार्ड उपलब्ध कराने नीचे दिए गए विवरणी के अनुसार जिले में कार्यरत लगभग 7000 शिक्षकों को आई.डी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जिसका विवरणी, शर्तें एवं बंधेज निम्नवत् है :-

Specification for Teacher ID Card :-

Identity Card Size	Rectamgular shape 8.6 cm vertical shape 5.4 cm horizontal	Rate (Per Pcs)
Material	PVC laminate	
Thickness	Multicolor printing on both side of card material	
Photo	Ticket size photo will be used for each official. Printed colored photo will be provided by Shiksha Wibhag	
Card Holder	Card Holder should be perfect to hold PVC Card with maximum card insert size of 86mmx54mm with 0.8 mm, slide ejections that minimize sliding friction. Card Holder in Transparent color with PVC Material.	
Tags/Lanyard	The Lanyard should be 36 inch in length, 20 mm in width and 1.4 mm in thickness. The stuff should be polyester.	
Clip/Dog Hook	Dog hook for use in PVC Card Holder with rust free coating.	
Over All (Total)		

Note : Each card should be contain the following field : Photo/Name of Teacher/Official/Designation/Date of Birth/Blood Group/Residential Address/Contact No/Mobile Number/Email ID/Signature of the issue authority/Logo

तकनीकी बीड के लिए आवश्यक शर्तें / कागजात :-

1. अग्रधन के रूप में कुल 15000/- (पंद्रह हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक JHARKHAND EDUCATION PROJECT, RANCHI के नाम से प्रतिभूति रकम के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा ।
2. निविदादाता को GST निबंधन पत्र, तीन वर्ष का (2017-18,2018-19 एवं 2019-20) का आयकर रिटर्न, अद्यतन वाणिज्यकर अनापत्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा ।
3. पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति ।
4. न्यायालय द्वारा सजायाप्ता/काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र ।

अन्य शर्तें :-

1. कार्ड के संपूर्ण पैकेजिंग की सम्पूर्ण जबाबदेही संबंधित निविदादाता/आपूर्तिकता की होगी ।
2. आई.डी.कार्ड में त्रुटि तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध कराये गये संख्या के आधार पर पैकेजिंग में त्रुटि पाये जाने पर या शिकायत प्रमाणित होने पर कुल राशि का 30 प्रतिशत राशि या इससे अधिक की कटौती हेतु अधोहस्ताक्षरी स्वत्रंत होंगे ।
3. निविदा का पूर्ण ब्यौरा एवं कागज का नमूना एवं विभिन्न शर्तें दिनांक 16.10.2020 से 26.10.2020 के 01 बजे तक झारखण्ड शिक्षा परियोजना, मध्य विद्यालय बी.एम.पी डोरण्डा परिसर, राँची-2 से प्राप्त एवं जमा किया जा सकता है एवं 26.10.2020 को 3 बजे अपराह्न जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, कय समिति राँची की अध्यक्षता में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ, राँची में निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा ।
4. कार्यादेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर कुल 19 प्रखंड संसाधन केन्द्रों के लिए अलग अलग सभी शिक्षकों का मुद्रित आई.डी. कार्ड जिला कार्यालय से उपलब्ध करायी गई संख्या के आधार पर पैकेट बनाकर निश्चित रूप से आपूर्ति करना होगा जिसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय आदि अनुमान्य नहीं होगा ।
5. निविदादाता को एक ही दर अंकित करना होगा ।
6. निविदादाता को निविदा के साथ आई.डी.कार्ड का पूर्ण नमूना संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को अंशतः या पूर्णतः निरस्त या संशोधित करने का अधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची को सुरक्षित होगा ।

Bach
14/10/20

14.10.2020

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राँची